कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद ।

पत्रांक /नजारत, जनपद न्यायालय, गाजियाबाद दिनांक 07 जनवरी, 2016

निविदा सूचना

जनपद न्यायालय, गाजियाबाद में कार्यरत कम्प्यूटर्स के यू.पी.एस. के साथ लगी बैट्रीयां क्रय किये जाने की बाबत इच्छुक व्यक्तियों/फर्मो से दिनांक 30.01.2016 की सांय 04.00 बजे तक सील बन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक निविदा फार्म, निविदा सम्बन्धी शर्ते जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नजारत कार्यालय से रूपये 100/– (एक सौ) जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

क्रम सं0	बैट्री का विवरण	कम्पनी/ब्रांड	मात्रा
1	28 ए.एच. 12 वोल्ट	एमरॉन/एक्साईड	16 नग
2	42 ए.एच. 12 वोल्ट	एमरॉन/एक्साईड	12 नग
3	26 ए.एच. 12 वोल्ट	एमरॉन/एक्साईड	204 नग

निविदा फार्म के साथ जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के पक्ष में देय रूपये 2,000/– (दो हजार) का बैंक डिमांड ड्राफ्ट/चैक दिनांक 30.01.2016 की अपराह्न 04.00 बजे तक जमा करना होगा। उपरोक्त बैट्रीयों की दर प्रस्तुत करते समय खराब बैट्री को वापिस किये जाने की दर को समायोजित किया जाये।

निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर प्रेषित निविदाएं स्वीकार्य नही होंगी ।

निविदा निम्न शर्तो एंव प्रतिबन्धो के अधीन प्राप्त किये जायेगें :–

1– निविदा देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजिकरण होना अनिवार्य है ।

2.– निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले सामान की निर्माता कम्पनी/ब्रांड व मॉडल नं0 आदि का विवरण अंकित करना अनिवार्य है ।

3– प्रत्येक निविदा के साथ अंकन 2,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट/चैक जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के पक्ष में धरोहर धनराशि के रूप में सलंग्न करना होगा ।

4– भुगतान सामान की आपूर्ति किये जाने के पश्चात ही किया जा सकेगा। भुगतान के विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नही होगा ।

5– स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद) को अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं ।

8/01/16

अध्यक्ष, क्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी.
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु :–

1– नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद ।
2– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ।
3– नोटिस बोर्ड, नगर निगम, जनपद गाजियाबाद ।
4– तहसीलदार, सदर, जनपद गाजियाबाद ।
5– नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।
6– स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
7– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एंव माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु ।